12.7.22 वकील उभयपक्ष उपस्थित। सायल द्वारा
मूलवाद विड्रो किया जा चुका है। मूलवाद
के बगैर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना
पोषणीय नहीं होने के कारण प्रा०पत्र की
कार्यवाही मूलवाद की रोशनी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपर (राज.)